

ज्ञापांक 84.../फा0
कार्यालय अग्निशामालय पदाधिकारी, सहरसा
दिनांक-24. वी0 अप्रैल 2021

सेवा में,

प्रबन्धक दूध जीत कुमार विश्वाक
शासन विनियोग शिक्षण संस्था सहरसा

प्रसंग :- आवेदक का आवेदन दिनांक - 03/04/2021

विषय :- अग्निशमन यंत्रों की जाँच एवं अग्निशमन व्यवस्था का सुझाव पत्र ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन आवेदन के आलोक में व्यवस्थापक द्वारा अपने प्रतिष्ठान में लगाये गये पोर्टेबल अग्निशमन यंत्रों की जाँच करायी गई। जो निम्न है:

- (A) ABC फायर एक्सट्रोगेसर - 10 अक्षय
(B) CO2 फायर एक्सट्रोगेसर - 02 अक्षय
(C) फोम एक्सट्रोगेसर - x
(D) वाटर CO2 एक्सट्रोगेसर - x
(E) बालू भरी बाल्टी - 04 अक्षय
(F) पानी भरी बाल्टी - 04 अक्षय
(G) कम्बल - 04 अक्षय

उपरोक्त सभी अग्निशामक यंत्र सही एवं क्रियाशील अवस्था में पाया गया। इसके साथ ही प्रबंधक को निम्नलिखित सुझाव दिया जाता है :

1. बिहार फायर एक्ट - 2014 के अनुरूप अग्निशमन यंत्रों/उपकरण का संधारण एवं रख-रखाव स्वयं करेंगे।
2. व्यवस्थापक NBC एवं BBC में उल्लेखित गाइड लाइन का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
3. उच्च मानक का विद्युत वायर, MCB कट आउट में फियुज वायर कर उपयोग करेंगे।
4. पानी टंकी हमेशा पानी से भरे हुए रखेंगे तथा पाइप लाइन की व्यवस्था रखेंगे।
5. व्यवस्थापक दिया सलाई, बीड़ी सिगरेट का पीने का पूर्ण रूप से प्रतिबंध रखेंगे एवं NO SMOKING का बोर्ड लगायेंगे।
6. बिहार फायर एक्ट 2014 में दिये गए अन्य सभी निदेशों का अनुपालन करेंगे।
7. यह जाँच प्रमाण पत्र माह 24/3/22 तक के लिए निर्गत की जाती है।

निर्देश दिया जाता है कि माह 24/4/22 से पहले अग्निशमन यंत्र/उपकरण की जाँच कराना सुनिश्चित करेंगे। अंगर आपके द्वारा उक्त शर्तों का पालन नहीं किया जाता है तो इस BIHAR FIRE ACT 2014 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा तथा आप पर अग्रतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासमाजन

24/04/2021
अग्नि-शामालय पदाधिकारी
सहरसा